न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 43 / 2020 अपील / प्रतापगढ़ (GCMS 2020/00044)
पंजीयन दिनांक– 08.06.2020
निर्णय दिनांक– 14.10.2020

1. श्री रामेश्वर पिता श्री हकेराज डांगी, निवासी फरेडी, तहसील अरनोद, जिला प्रतापगढ़ (राज.)
2. श्रीमती रूकमण बाई पत्नि स्वं. श्री किशनलाल डांगी, निवासी, फरेडी, तहसील अरनोद, जिला प्रतापगढ़ (राज.)
3. श्री कान्तिलाल पिता श्री लच्छीराम मीणा, निवासी फरेडी, तहसील अरनोद, जिला प्रतापगढ़ (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ (राज.)

..................रेस्पोडेन्ट

अधिवक्ता :
श्री अतुल जैन : अधिवक्ता अपीलान्ट संख्या 1 व 2
राजकीय अभिभाषक : रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट–1956
विरूद्ध जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ के आदेश क्रमांकः राजस्व / भू.आ. / 2018 / 2045–54 दिनांक 03.07.2018

निर्णय

दिनांक– 14.10.2020

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ के आदेश

क्रमांकः राजस्व/भू.आ./2018/2045–54 दिनांक 03.07.2018 के विरूद्ध दिनांक 29.08.2018 को न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को पेश की गई है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के क्रम में पत्रावली स्थानान्तरित होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त में दिनांक 17.02.2020 को दर्ज की गई। जिला प्रतापगढ़ से संबंधित क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को होने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानान्तरित होकर दिनांक 08.06.2020 को दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में बकौल अपीलांट तथ्य इस प्रकार है कि विवादित भूमि आराजी नम्बर 515 रकबा 0.19 हैक्टेयर ग्राम फरेडी, पटवार क्षेत्र नौगावां, तहसील अरनोद, जिला प्रतापगढ़ में स्थित होकर मजरा जनकपुरी, ग्राम पंचायत नौगावां ग्राम फरेडी की ही नई बस्ती का ही भू–भाग होकर ग्राम फरेडी की आबादी में स्थित है तथा अपीलांटगण व ग्रामवासीयान के मकानात बने हुए होकर कृषि भूमि भी स्थित है। उक्त विवादित भूमि के संबंध में उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़ एवं अरनोद के श्मशान/कब्रिस्तान प्रयोजनार्थ भूमि आरक्षण के प्रस्ताव पर जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ द्वारा आदेश क्रमांकः राजस्व/भू.आ./2018/2045–54 दिनांक 03.07.2018 से मजरा जनकपुरी, ग्राम पंचायत नौगावां, तहसील अरनोद के लिए श्मशान हेतु आरक्षित (सेट अपार्ट) किये जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांटगण द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील अपीलांटगण स्वीकार किया जाने का निवेदन किया है।

उक्त निर्णय/आदेश से व्यथित होकर अपीलान्टगण द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलान्टगण संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री अतुल जैन उपस्थित व रेस्पोडेंट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए।

अपीलांट संख्या–3 बावजूद सूचना अनुपस्थित। उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 08.10.2020 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्टगण ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्याय, नियम एवं तथ्यों के विपरित होने से अपास्त किये जाने योग्य है क्योंकि विवादित आराजी को धारा 92 एल.आर. एक्ट के अंतर्गत आरक्षित किये जाने हेतु विधि सम्मत रूप से प्रक्रिया का पालन नहीं कर स्वेच्छाधारी मनमाना आदेश पारित किया है। मजरा जनकपुरी ग्राम पंचायत नौगावां ग्राम फरेडी की नई बस्ती का ही भू–भाग होकर ग्राम फरेडी की आबादी में स्थित है, जिसकी आबादी लगभग 2–3 हजार की है। राज्य सरकार द्वारा आराजी नम्बर 552/29 मीन रकबा 0.20 हैक्टेयर पूर्व में श्मशान के लिए आरक्षित की गई है। उक्त ग्राम हेतु पूर्व में ही श्मशान की भूमि आरक्षित होने एवं वर्तमान में आबादी की जनसंख्या के प्रकाश में पुनः भूमि आरक्षित करने की आवश्यकता नही है। उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार एवं पटवारी हल्का ने भूमि के आरक्षण के लिए अपने स्तर पर श्मशान हेतु आवंटन प्रस्ताव दिनांक 26.07.2017 को तैयार किया तथा संबंधित पटवार हल्का से दिनांक 27.07.2017 को रिपोर्ट संलग्न कर पत्रावली प्रेषित की। उक्त कार्यवाही 1 वर्ष पूर्व की गई थी। तहसीलदार, अरनोद द्वारा विवादित आरक्षित भूमि का वर्ष 2018 में कोई पर्चा मौका एवं ग्राम सभा का कोई प्रस्ताव ग्राम पंचायत नौगावां से प्राप्त नहीं किया गया। वर्ष 2017 में पटवारी द्वारा भी विवादित भूमि का पर्चा मौका बिना मौके पर जाकर वस्तुस्थिति से विपरित तैयार किया गया। ग्राम पंचायत नौगावां द्वारा श्मशान घाट के लिए भूमि आवंटन हेतु पत्र दिनांक 30.06.2017 को प्रेषित किया गया। ग्राम पंचायत नौगावां द्वारा श्मशान हेतु आराजी नम्बर 519 रकबा 0.19 हैक्टेयर बिलानाम से आरक्षित किये जाने का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया है। ग्राम पंचायत नौगावां द्वारा श्मशान घाट हेतु आराजी नम्बर 515 एवं 519 रकबा 0.19 हैक्टेयर भूमि आरक्षित/आवंटन किये जाने हेतु कोई ग्राम सभा आयोजित कर प्रस्ताव पारित नही किया गया है। प्रेषित पत्रावली के साथ ग्राम पंचायत की सहमति का कोई

प्रस्ताव संलग्न नही है। ग्रमा फरेडी की विवादित आराजी पर अपीलांटगण एवं ग्रामवासीयों के राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत मकानात बने होकर निवासरत है एवं आने–जाने का रास्ता तथा उक्त आराजी के समीप ग्रामवासीयान की कृषि भूमि भी स्थित है। विवादित कृषि भूमि पर रास्ते एवं आबादी के मकानात बने होने से अपीलांटगण के हित प्रभावित होते है जिससे व्यथित पक्षकार होने से अपील अपीलांट स्वीकार करने एवं जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ आदेश दिनांक 03.07.2018 को निरस्त कराने बाबत निवेदन किया गया।

रेस्पोडेंट राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय/आदेश दिनांक 03.07.2018 को सही बताते हुए अपील अपीलांटगण खारिज करने का निवेदन किया।

अपीलांटगण द्वारा बाद बहस दिनांक 12.10.2020 को प्रार्थना पत्र मय ग्राम पंचायत लुपडी द्वारा विवादित श्मशान के समीप अन्य श्मशान मौजुद होने तथा आस–पास मकान होने संबंधी प्रमाण पत्र व फोटोग्राफ पेश किये, जो रेकार्ड पर है।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में अपील अंदर मयाद पेश हुई है। इस प्रकरण में अब हम सर्वप्रथम इस अपील के एक महत्वपूर्ण विधिक बिन्दु पर विचार करना उचित समझते हैं। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि विधि के आज्ञापक प्रावधानों की पालना की जानी चाहिये। विधि में जाप्ता दीवानी के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत किये जाने के लिए दफा 96 जाप्ता दीवानी एवं आदेश 41 जाप्ता दीवानी के प्रावधानों के अन्तर्गत ही अपील की जा सकती है। अपील किये जाने के लिए सिर्फ अधीनस्थ न्यायालय के पक्षकार अथवा उनके वारीसान या उनके हस्तान्तरियों को ही अपील प्रस्तुत किये जाने का अधिकार है। यदि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से अन्य कोई व्यथित पक्षकार है तो उसे अपील प्रस्तुत किये जाने से पूर्व दफा 96 जाप्ता दीवानी के तहत न्यायालय से पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये जाने के आज्ञापक प्रावधान व अनेकानेक न्यायिक दृष्टांत

उपलब्ध है। इस प्रकरण में अपीलांट द्वारा न्यायालय में दफा 96 जाप्ता दीवानी का कोई आवेदन प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं चाही है, न ही ऐसा कोई आवेदन प्रस्तुत किया है।

उपरोक्तानुसार अपीलांट द्वारा दफा 96 जाप्ता दीवानी का आवेदन प्रस्तुत किये बिना न्यायालय की अनुज्ञा प्राप्त करने का आवेदन किये बिना जो यह अपील प्रस्तुत की है, यह विधिसम्मत् नहीं होने से खारिज की जाती है।

(एल.एन.मंत्री)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
उदयपुर